

केन्द्रीय
वाणिज्य अध्ययन मण्डल की बैठक 27, 28
अप्रैल 2017
प्रतिवेदन

डॉ० पुष्पलता चौधरी, प्राध्यापक, वाणिज्य

1.4.2

केन्द्रीय अध्ययन मण्डल बैठक, दिनांक 27, 28 अप्रैल 2017
सदस्य :- वि० वि० (वस्कुलका) अधिनियम 1973 की धारा
34A के अन्तर्गत दिनांक 27, 28 अप्रैल 2017 को 'वि० वि०
परिसर में आयोजित केन्द्रीय अध्ययन मण्डल में सदस्य के रूप
में कुलपति की अनुमति से शामिल की गई। छात्रों की
मांग, एवं विभिन्न प्राध्यापकों के अनुभव एवं स्वयं के कई-
वर्षों से निरंतर क्रिये जा रहे अध्यापन कार्य के अनुभव के
आधार पर बैठक में निम्न अनुशंसाएँ की गईं :-

- ① बैठक का उद्देश्य :- यह बैठक एकीकृत वार्षिक पद्धति पर
आधारित पाठ्यक्रमों की तैयारी करने के लिए आयोजित की गई
थी। इसमें पूरे पाठ्यक्रमों की 3 समूहों में विभाजित किया
गया। प्रत्येक समूह में शिष्यों की तथा पढाई समूह आधार
पाठ्यक्रम तैयार रखा गया।
- ② बैठक की अग्रिमिती :- बैठक में पाठ्यक्रम में शामिल
किये जाने वाले विषयों पर सभी सदस्यों ने
विचार विमर्श किया, शीर्ष-प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय
में उन विषय सामग्री को शामिल किया गया जो
समय के अनुकूल एवं छात्रों की मांग के अनुरूप थी।
→ बी०कॉम० प्रथम वर्ष में वित्तीय लेखांकन विषय से
उस विषय सामग्री को हटा दिया गया, जिन्हें हटा स्कूल
में पढ़ चुके थे। ऐसा ही प्रत्येक 06 विषयों में किया
गया।
→ बी०कॉम० द्वितीय वर्ष में दो विषयों बैंकिंग ला और
जीवन बीमा को शामिल किया गया, जो छात्रों का
व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है, एवं स्वरोपकार की
तरफ़ मुखर होने में महती भूमिका रखता है।
→ बी०कॉम० अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में गत-कई वर्षों से
अप्रवृत्त कर लागू था जिस 2016-17 से शायद द्वारा
आहरित/समाप्त कर दिया गया था, लेकिन पाठ्यक्रम

में नहीं शामिल था। बैंक में इसके स्थान पर ड्राफ्ट
 कर में VAT, और स्टैंड स्टैंड सेल्स टैक्स, GST, को अति
 शामिल किया गया।
 विषय का नाम प्रश्न-पत्र का नाम वकालत का GST
 करने की अनुशासा भी की गई, इसका विषय-सामग्री
 एवं पाठ्यक्रम तैयार किया गया, और सत्र 2019-20 से
 म.प्र. के सभी वि.वि.में एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में
 अद्ययपन शुरू कर दिया गया।

वी.के.एम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रमों
 में आंतरिक मूल्यांकन के स्वरूप को भी परिवर्तित कर
 एक पारंपरिक एवं एक गैर पारंपरिक रखा गया। इससे
 छात्रों की रुचि नियमित अद्ययपन में बढ़ेगी एवं
 कक्षाओं में उपस्थित भी रहेंगे।
 एकीकृत पाठ्यक्रमों में वी.के.एम. अंतिम वर्ष की म.प्र.
 शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सत्र 2019-20
 से रोजगारउन्मुख प्रोजेक्ट कार्य को भी सम्मिलित पाठ्यक्रम में
 रखा दिया गया, क्योंकि इससे छात्रों की कक्षाओं
 में अद्ययपन हेतु समय नहीं मिल पाता था।

[Handwritten signature]

संलग्न:-
 अधिसूचना एवं
 आदेश की प्रति

डॉ. पुष्पलता चौधरी,
 प्राध्यापक, वाणिज्य
 संकाय, जे.पी.टी. अद्ययपन
 मोडल चेंबर
 Dr. Puspala Chaudhary
 Prof. Commerce
 Govt. Hamidiya Coll.
 Bhopal (M.P.)

1.4.2 Post B. (ii)

अग्रणी महाविद्यालय- शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.

Website : <http://www.mpcolleges.nic.in/ghcbpl>, Ph./Fax No. 0755-2660447,2660081 Email - heghaaccbho@mp.gov.in

क्रमांक / 154 / शा.ह.म. / 2017

भोपाल, दिनांक.: 25.04.2017

// आदेश //

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्र. 380/सीएचई/शाखा-5 ए/2017 भोपाल दिनांक 23.04.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय अध्ययन मंडल-वाणिज्य में सहभागिता हेतु डॉ. पुष्पलता चौकसे प्राध्यापक वाणिज्य को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परिसर, भोपाल में दिनांक 27 एवं 28 अप्रैल 2017 को प्रातः 10 बजे से होने वाली बैठक हेतु आज दिनांक 26.04.2017 को अपराह्न में कार्यमुक्त किया जाता है ।

कृपया निर्धारित समय एवं दिनांक को उपस्थित रहकर कार्य संपादन करें एवं बैठक के उपरान्त इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें ।

संलग्न:-

- 1 अधिसूचना की प्रति ।
- 2 बैठक की सूचना की प्रति ।

पृ.क्र. 155 / शाहम / 2017

प्रतिलिपि:-

- 1 आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 2 अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल नर्मदापुरम् संभाग की ओर सूचनार्थ ।
- 3 संबंधित प्राध्यापक को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

(डॉ. पी.के. जैन)

प्रभारी प्राचार्य

भोपाल दिनांक

25/4/17

(डॉ. पी.के. जैन)

प्रभारी प्राचार्य

Govt. Non-Med. A
College, Bhopal, M.P.

Office of the Commissioner, Higher Education, MP
Satpura Bhavan, Bhopal

NO. ³⁸⁰/CHE/Shakha 5A/2017

Bhopal, Dated 23/04/2017

NOTIFICATION
SUBJECT: Commerce

Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub-section (5) of section 34-A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 vide his order No. F-8-1/2014/R.S./U.A.-3/377 dated 06-04-2017, I the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for Commerce as under:-

Section 34-A (3)(i)

- ✓ 1. Dr. Sunil Kumar Pahawa, G.S. College Jabalpur, Chairman Board of Studies in Commerce Rani Durgawati University, Jabalpur → 9424768800
2. Dr. M.U. Siddhiqi, Govt. P.G. college Bedhan, Singaroli, Chairman, Board of Studies in Commerce APS University, Rewa
- ✓ 3. Dr. N.L. Gupta, Govt. P.G. College Badawani, Chairman, Board of Studies in Commerce Devi Ahilya University, Indore - 9425981442
4. Dr. Rameshwar soni, Chairman, Board of Studies in Commerce, Vikram University, Ujjain
5. Prof. S.K. Singh, Chairman, Board of Studies in Commerce Jiwaji University, Gwalior
- ✓ 6. Dr. Pawan Mishra, Chairman, Board of Studies in Commerce Barkatullah University, Bhopal

Section 34-A (3)(ii)

1. Head of the Dept. Commerce, Govt. S.C.P. College, Murar
- ✓ 2. Head of the Dept. Commerce, Patidar Govt. P.G. College, Mhow Dr. R.K. Vipat 9425367999
3. Head of the Dept. Commerce, Govt. P.G. College, Seoni
4. Head of the Dept. Commerce, Govt. Nehru College, Ujjain


Section 34-A (3)(iii)

1. Dr. Sachin Sharma, Shanskar College, —
- ✓ 2. Head of the Dept. Commerce, Govt. Hamidia P.G. College, Bhopal — Dr. Chauhan
3. Head of the Dept. Commerce, Jalad Trimurti Govt. College, Nagod, Satna
4. Head of the Dept. Commerce, Govt. College, Nainpur — Dr. Ek Yadav 9993146174
5. Head of the Dept. Commerce, Govt. Girls College, Ujjain

एकीकृत आधार पाठ्यक्रम के वीडियो कार्यक्रम 15.6.2017
की बैठक प्रतिवेदन 15.6.2017 1.4.2 ✓

सदस्य:- डॉ० पुष्पलता चौकसे प्राध्यापक वाणिज्य
दिनांक 15.6.2017 को मंत्रालय के सभी विंगों में
आधारपाठ्यक्रम स्नातक प्रथम वर्ष में पुश्न-पत्र हस्ता
"उद्यमिता विकास" हेतु मुझे बैठक में आमंत्रित किया
गया। बैठक में मेरे द्वारा "उद्यमिता विकास" के
पाँच यूनिट के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया
आर-सू 2017-18 से इसे मंत्रालय के सभी विंगों
में लागू कर दिया गया। पाठ्यक्रम की समीति के
सभी सदस्यों के अनुमोदित किया, क्योंकि यह
वर्षों की रुचि एवं आवश्यकता अनुरूप तैयार
किया गया था।

संलग्न:-
आदेश की प्रति


डॉ० पुष्पलता चौकसे,
प्राध्यापक वाणिज्य
शास० हमीदिया कला एवं
वाणिज्य महा०, भोपाल
Dr. Pushplata Chouksey
Prof. Commerce
Govt. Hamidiya College
Bhopal (M.P.)

1.4.2 ✓

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 630/आउशि/शाखा-5'अ'/2017,

भोपाल, दिनांक:-

प्रति,

03/06/2017

1. प्रो. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, हिन्दी विभाग, अधिष्ठाता अध्ययन मण्डल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
2. डॉ. के.जी. मिश्रा, हिन्दी, आई.ई.एच.ई. भोपाल।
3. डॉ. डी.एस. कनेल, हिन्दी, शासकीय महाविद्यालय सांवेर, इन्दौर।
4. डॉ. रोहित त्रिवेदी, अंग्रेजी, शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल।
5. इन्दिरा जावेद, अंग्रेजी, शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल।
6. डॉ. अनिल राजपूत, गणित, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर।
7. डॉ. पुष्पलता चौकसे, वाणिज्य, शासकीय हमीदिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल।
8. डॉ. रेणु मिश्रा, वनस्पति शास्त्र, सत्य साई महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल।

विषय:-स्नातक स्तर के एकीकृत आधार पाठ्यक्रम के लिए केन्द्रीय अध्ययन मण्डल की बैठक में उपस्थित होने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्नातक स्तर के एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए पूर्व में निर्मित आधार पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम (सिलेबस) में आवश्यक संशोधन हेतु दिनांक 15/06/2017 को पूर्वान्ह 11 बजे बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के सत्य भवन के अकादमी सभा कक्ष में केन्द्रीय अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित की जा रही है। जिसमें आप सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(नीरज मण्डलोई)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक: 631/आउशि/शाखा-5'अ'/2017, भोपाल, दिनांक

03/06/2017

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन भोपाल।
2. स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संबंधित कुल सचिव/अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा/संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(डॉ. ए.एस.यादव)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा म.प्र.

बाण्डिय अध्ययन मण्डल, वरकुतुल्ला वि०वि०
भोपाल, बैंक दिनांक 18.01.2018

1.4.2 ✓

प्रतिवेदन

संक्षेप :- डॉ० पुष्पलता चौकसे, प्राध्यापक बाण्डिय
बैंक का उद्देश्य :- सत्र 2018-19 से मण्डल के सभी
वि०वि० में बैचरीय अध्ययन मण्डल द्वारा एकीकृत
पाठ्यक्रम डि० प्रश्न-पत्र प्रणाली पर तैयार किया गया।
इस पाठ्यक्रम को वरकुतुल्ला वि०वि० में भी लागू
किये जाने हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदन प्राप्त
करना। -

कार्यवाही :- उक्त बैंक में बाण्डिय स्नातक के
प्रथम, द्वितीय, वर्ष में वार्षिक परीक्षा से तथा
स्नातक पंचम एवं छठे सेमेस्टर में पाठ्यक्रमों
को तैयार कर लागू करने हेतु अनुमोदन प्रदान की
गई। इसमें समसामयिक विषय सामग्री को शामिल
किया गया।


→ बैंक में एम०कॉम० के चारों सेमेस्टर की विषय-सामग्री
का अवलोकन कर पुनरावृत्ति वाले अवधारणा को हटा कर
नया अध्ययन शामिल किया गया।

→ एम०फिल० बाण्डिय के विषयों की पुनः जारी रखने हेतु
अनुमोदन किया गया।

→ पी०एच०-डी० केर्स वर्क का पाठ्यक्रम सत्र 2018-19
का तैयार किया गया।

संलग्न :-

डा०श्री-प्रति


Dr. Pushpata Chouksey
Prof. Commerce
Gov. Hamidia College
Bhopal
डॉ० पुष्पलता चौकसे,
प्राध्यापक बाण्डिय



बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

1.4.2 ✓

क्रमांक 09 / अकादमी / पाठ्यक्रम / अ-1 / 18

भोपाल, दिनांक 03-01-2018

वारिष्य

सूचना

विषय के अध्ययन मण्डल / समिति की बैठक दिनांक 18-01-2018
दिनांक 03-01-2018 को पूर्वान्ह/अपरान्ह 11-30 बजे अकादमी कक्ष के सभागृह में आयोजित की गई है।
कृपया अध्ययन मण्डल के सदस्यगणों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में नियत समय पर आवश्यक रूप
से उपस्थित होने का कष्ट करें।
अधिष्ठाता/अध्यक्ष/सम्माननी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

1. कार्यावली
2.
3. कार्यावली संलग्न है।
4.
5.
6.
7.

पृ0क्रमांक 10 / अकादमी / पाठ्यक्रम / अ-1 / 17

अधीक्षक कुलसचिव, (अकादमी)
भोपाल, दिनांक 03-01-2018

- प्रतिलिपि :
1. अधिष्ठाता श्री. एन.के. खरीक वारिष्य विभाग
श्री. पी.डी. भोपाल
 2. अध्यक्ष श्री. पवन मिश्रा वारिष्य विभाग
श्री. पी.डी. भोपाल
 3. सदस्य श्री. एन.के. बलरा वारिष्य विभाग
श्री. पी.डी. भोपाल
 4. सदस्य श्री. शीताराम वर्मा
श्री. पी.डी. इंदौर
 5. सदस्य श्री. एन.पी. उदयरा- वारिष्य विभाग
श्री. पी.डी. इंदौर
 6. सदस्य श्री. लखनलाल वारिष्य विभाग
श्री. पी.डी. इंदौर
 7. सदस्य श्री. अशुजा निवारी वारिष्य विभाग
श्री. पी.डी. भोपाल

निरंतर

..... 21/05/16 विषय के अध्ययन मण्डल / समिति की बैठक दिनांक।

दिन शुक्रवार को पूर्वाह्न/अपराह्न 11:30 बजे अकादमी कक्ष के सभागृह में आयोजित की गई

8. सदस्य श्री. पुष्पलता चौकरी, वाणिज्य विभाग

श्री. इंदिरा जहा, सहायक कुलपति, भोपाल

9. सदस्य

10. सदस्य

सहवर्तित सदस्य :

1. सदस्य श्री. जे. के. जल, सहायक वाणिज्य

श्री. हरिशंकर के. जे. नि. वि. सागर (म.प्र.)

2. सदस्य श्री. ए. के. शारदा, सहायक एवं नि. वि. सागर (म.प्र.)

श्री. कालीदास जहा, सहायक कुलपति, भोपाल (म.प्र.)

3. सदस्य

4. विशेष आमंत्रित सदस्य (1)

(2)

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय संचालक, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल को इस अनुरोध के साथ कि अपने संभाग में संचालित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे विश्वविद्यालय के अध्ययन मण्डल की बैठक में उपस्थित होने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को कर्तव्य अवकाश प्रदान कर कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय संचालक, उच्च शिक्षा, नर्मदापुरम संभाग भोपाल को इस अनुरोध के साथ कि अपने संभाग में संचालित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे विश्वविद्यालय के अध्ययन मण्डल की बैठक में उपस्थित होने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को कर्तव्य अवकाश प्रदान कर कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
4. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को इस आग्रह के साथ सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सेवारत संबंधित अध्ययन मंडल के अध्यक्ष/सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने हेतु आवश्यक रूप से निर्देशित करें जिससे कि विश्वविद्यालय का अकादमी कार्य समय सीमा में सम्पन्न हो सके।
5. वित्त अधिकारी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर भुगतान संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निवेदन के साथ सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, अंकेक्षण विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. कुलपति के निज सचिव के माध्यम से कुलपतिजी की ओर सूचनार्थ।
8. कुलसचिव के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिवजी की ओर सूचनार्थ।
9. संबंधित नस्ती।

विशेष नोट :-

1. भोपाल के बाहरी सदस्य यात्रा टिकट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, अथवा कार से आने वाले सदस्य टोल टेक्स की रसीद एवं घोषणापत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
2. म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ1-2/2016/नियम/4 दिनांक 05.05.2016 के अनुसार वि.वि. के समस्त भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से किए जाने हैं। अतः सम्माननीय सदस्यों को बचत खाता क्रमांक एवं IFSC नं. देना अनिवार्य है, इसके अभाव में भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

प्रभाकर सहायक कुलसचिव, (अकादमी)

1.4.2 ✓

अध्ययन मंडल की बैठक की कार्यसूची

1. सत्र 2018-19 हेतु स्नातक प्रथम वर्ष के वार्षिक पद्धति (द्वि-प्रश्नपत्र प्रणाली) पाठ्यक्रमों पर विचार करना।
2. सत्र 2018-19 हेतु केन्द्रीय अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित स्नातक द्वितीय वर्ष के वार्षिक पद्धति (द्वि-प्रश्नपत्र प्रणाली) पाठ्यक्रमों पर विचार करना।
3. सत्र 2018-19 स्नातक तृतीय वर्ष के पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों पर विचार करना।
4. सत्र 2018-19 हेतु स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर तथा द्वितीय वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों पर विचार करना।
5. सत्र 2018-19 हेतु एम.फिल. के पाठ्यक्रम पर विचार करना।
6. सत्र 2018-19 हेतु पी.एच.डी प्रवेश परीक्षा एवं कोर्स वर्क परीक्षा के पाठ्यक्रम पर विचार करना।
7. अन्य प्रकरण अध्यक्ष की अनुमति से।

प्रो. 
उप-कुलसचिव, अकादमी


✓ 1.4.2

वाणिज्य इकायन मंडल, वरकतुलना वि० वि०
नेपाल में यू० पी० सी० द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों
के अनुमोदन हेतु बैठक दिनांक 01.5.18

उद्देश्य :- वैश्वीय इकायन मंडल द्वारा अनुसंधित
पाठ्यक्रम 2018-19 में भी लागू करने की स्वीकृति
वास्तव बैठक आहूत की गई।

कार्यवाही :- म० पु० शासन उच्च-शिक्षा विभाग
द्वारा सत्र 2017-18 से म० पु० के सभी
विषयों में तीन वर्षीय (डिग्री-पुस्तक-पत्र) पठाली
लागू करने हेतु वैश्वीय इकायन मंडल द्वारा
पाठ्यक्रम एवं व्यवस्था तैयार कर दी गई थी।
इन पाठ्यक्रमों की व० कु० वि० वि० में भी लागू
किये जाने हेतु इस बैठक में सहमति व्यक्त
की गई तथा सत्र 2018-19 में स्नातक द्वितीय-
वर्ष (बी० कॉम० द्वितीय) में भी इसे जारी रखा
गया।

संलग्न :-
आदेश की प्रति


Dr. Pushplata Chouksey
Prof. Commerce
D/o P. K. Samdiya College
Bhopal (M.P.)
पाठ्यापक, वाणिज्य



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

1.4.2 ✓

क्रमांक 479 / अकादमी / पाठ्यक्रम / अ-1 / 18

भोपाल, दिनांक.....

वारिष्य विषय के अध्ययन मण्डल / समिति की बैठक दिनांक 01.04.2018
 दिन 01 अप्रैल को पूर्वाह्न/अपराह्न 3.00 बजे अकादमी कक्ष के सभागृह में आयोजित की गई है।
 कृपया अध्ययन मण्डल के सदस्यगणों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में नियत समय पर आवश्यक रूप
 से उपस्थित होने का कष्ट करें।
 अधिष्ठाता/अध्यक्ष/सम्माननी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

1. कार्यवाही तथा प्रो. एच. जी. उवशा परीक्षा का नवीन पाठ्यक्रम तैयार
2. करो हेतु अध्ययन केंद्र-11 की कैंडिडा 9 (9) इन्टेल टैल एवं पाठ्यक्रम
3. संपूर्ण है।
4. डी. डी. संस्थापित किया जा रहे पाठ्यक्रम पर 01-04-2018
5. 19 हेतु विचार करना
6.
7.

पृ0क्रमांक 480 / अकादमी / पाठ्यक्रम / अ-1 / 18

उप-कुलसचिव, (अकादमी)
भोपाल, दिनांक 11-4-18

प्रतिलिपि :

1. अधिष्ठाता प्रो. एच. के. खट्टी, वारिष्य विभाग
डी. डी. सं. भोपाल
2. अध्यक्ष प्रो. पवन मिश्रा, वारिष्य विभाग
डी. डी. सं. भोपाल
3. सदस्य प्रो. एल. के. खन्ना, वारिष्य विभाग
स्व. जिनो गार्डन शा. कल्याण स्नातकोत्तर महा. शिवाजी नगर, भोपाल
4. सदस्य प्रो. सीताराम ठों
ठों गली वी. सं. भा. क.
5. सदस्य प्रो. एन. पी. उवशा, वारिष्य विभाग
शा. कल्याण महाविद्यालय, विदिशा
6. सदस्य प्रो. लखनपाल, वारिष्य विभाग
शा. कल्याण महाविद्यालय इन्डियन टि. ल. सी. डी.
7. सदस्य प्रो. अंजुला तिवारी, वारिष्य विभाग
डी. डी. सं. भोपाल

निरंतर.....

वारिप्य विषय के अध्ययन मण्डल / समिति की बैठक दिनांक 03-05-2016
दिन शुक्रवार को पूर्वाह्न/अपराह्न 3:00 बजे अकादमी कक्ष के सभागृह में आयोजित की गई है।

8. सदस्य श्री. पुष्पलता चौकसे वारिप्य विभाग
शांता स्त्री शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल

9. सदस्य

10. सदस्य

सहवरित सदस्य :
1. सदस्य श्री. ए.के. जैन सहायक वारिप्य

श्री. हरविंद शार केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर

2. सदस्य श्री. एन.के. मारवा सहायक एवं विभागाध्यक्ष वारिप्य
शांता स्त्री शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)

3. सदस्य

4. विशेष आमंत्रित सदस्य (1)
(2)

1. आयुक्त/उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय संचालक, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल को इस अनुरोध के साथ कि अपने संभाग में संचालित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे विश्वविद्यालय के अध्ययन मण्डल की बैठक में उपस्थित होने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को कर्तव्य अवकाश प्रदान कर कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय संचालक, उच्च शिक्षा, नर्मदापुरम संभाग भोपाल को इस अनुरोध के साथ कि अपने संभाग में संचालित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे विश्वविद्यालय के अध्ययन मण्डल की बैठक में उपस्थित होने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को कर्तव्य अवकाश प्रदान कर कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
4. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को इस आग्रह के साथ सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सेवारत संबंधित अध्ययन मंडल के अध्यक्ष/सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने हेतु आवश्यक रूप से निर्देशित करें जिससे कि विश्वविद्यालय का अकादमी कार्य समय सीमा में सम्पन्न हो सके।
5. वित्त अधिकारी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर भुगतान संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निवेदन के साथ सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, अंकेक्षण विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. कुलपति के निज सचिव के माध्यम से कुलपतिजी की ओर सूचनार्थ।
8. कुलसचिव के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिवजी की ओर सूचनार्थ।
9. संबंधित नरती।

विशेष नोट :-

1. भोपाल के बाहरी सदस्य यात्रा टिकट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, अथवा कार से आने वाले सदस्य टोल टेक्स की रसीद एवं घोषणापत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
2. म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ1-2/2016/नियम/4 दिनांक 05.05.2016 के अनुसार वि.वि. के समस्त भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से किए जाने हैं। अतः सम्माननीय सदस्यों को बचत खाता क्रमांक एवं IFSC नं. देना अनिवार्य है, इसके अभाव में भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

f/s *[Signature]*
सहायक कुलसचिव, (अकादमी)

वाणिज्य अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 14.5.2018


✓ 1.4.2

प्रतिवेदन

उद्देश्य - इस बैठक में पी० एच० - डी के इपाधि के पूर्व पंजीकृत शोधार्थियों को शोध कार्य के प्रारंभिक कार्रवाही से अवगत कराना और शोध कार्य हेतु पूर्व कार्य योजना तैयार करने हेतु प्रशिक्षित करना है।

कार्रवाही - उपरोक्त बैठक में पी० एच० - डी० वाणिज्य विषय हेतु जिन छात्रों ने आवेदन किया था एवं एन्ट्रेंस टेस्ट पास कर लिया था, उनके लिए कोर्स वर्क का आयोजन प्रति शोधार्थी के लिए करना अनिवार्य है। इसके सम्बन्ध में पूर्व पूर्व करने एवं इसके बाद आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को ही शोध कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः इस बैठक में शामिल होकर कोर्स-वर्क के पाठ्यक्रम को तैयार करने में समिति के सदस्यों के साथ सहयोग किया।

संलग्न -
आदेश की प्रति


Dr. Pushplata Chouksey
Prof. Commerce
Govt. Hamidiya College
Bhopal (M.P.)
पाठ्यापक



सूचना

वाणिज्य विषय के अध्ययन मण्डल / समिति की बैठक दिनांक 14-05-2018 दिन सोमवार को पूर्वान्ह/अपरान्ह 03-00 बजे अकादमी कक्ष के सभागृह में आयोजित की गई है। कृपया अध्ययन मण्डल के सदस्यगणों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में नियत समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें। अधिष्ठाता/अध्यक्ष/सम्माननीय सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

कार्यावली

पी-एच. डी. (डाक्टरल ऑफ इंटेन्स टेस्ट) के पाठ्यक्रम को तैयार करना।

उप-कुलसचिव, (अकादमी)

भोपाल, दिनांक 07.05.2018

पृ0कमांक 702 / अकादमी / पाठ्यक्रम / अ-1 / 18

प्रतिलिपि :

1. अधिष्ठाता प्रो. एस. के. खटीक, वाणिज्य विभाग, यू.टी.डी. भोपाल
2. अध्यक्ष प्रो. पवन मिश्रा, वाणिज्य विभाग, यू.टी.डी. भोपाल
3. सदस्य प्रो. एस. के. खटीक, वाणिज्य विभाग, यू.टी.डी. भोपाल
4. सदस्य प्रो. एस. के. बत्रा, वाणिज्य विभाग, शा. सरोजिनी नायडू, स्वशासी कन्या महाविद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल
5. सदस्य प्रो. सीताराम हर्षे, वाणिज्य विभाग, नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद
6. सदस्य प्रो. एन. पी. अरोरा, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या महाविद्यालय, विदिशा
7. सदस्य प्रो. लखनलाल वाणिज्य विभाग, शा. महाविद्यालय, इछावर, सीहोर
8. सदस्य प्रो. अंशुजा तिवारी, वाणिज्य विभाग, यू.टी.डी. भोपाल
9. सदस्य प्रो. पुष्पलता चौकसे, वाणिज्य विभाग, हमीदिया महाविद्यालय, हाथीखाना, बुधवारा रोड, भोपाल

सहवरित सदस्य :

1. सदस्य प्रो. जे.के. जैन, वाणिज्य विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर
2. सदस्य प्रो. एस. के. भारल, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य, शा. कालीदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन
3. विशेष आमंत्रित सदस्य (1).....

(2).....

1. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को इस आग्रह के साथ सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सेवारत संबंधित अध्ययन मंडल के अध्यक्ष/सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने हेतु आवश्यक रूप से निर्देशित करें जिससे कि विश्वविद्यालय का अकादमी कार्य समय सीमा में सम्पन्न हो सके।
2. वित्त अधिकारी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर भुगतान संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निवेदन के साथ सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, अंकेक्षण विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. कुलपति के निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
5. कुलसचिव के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
6. संबंधित नरती।

विशेष नोट :-

1. भोपाल के बाहरी सदस्य यात्रा टिकट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, अथवा कार से आने वाले सदस्य टोल टेक्स की रसीद एवं घोषणापत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
2. म.प्र. शासन के पत्र कमांक एफ1-2/2016/नियम/4 दिनांक 05.05.2016 के अनुसार वि.वि. के समस्त भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से किए जाने हैं। अतः सम्माननीय सदस्यों को बचत खाता कमांक एवं IFSC नं. देना अनिवार्य है, इसके अभाव में भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

उप-सहायक कुलसचिव, (अकादमी)

केन्द्रीय अध्ययन मण्डल विधि अधिनियम 1973
के विन्दु 34(A) के अन्तर्गत - सामुदायिक सेवा एवं
सतत विकास हेतु तीन वर्षीय पाठ्यक्रम 1.42 ✓

प्रतिवेदन तैयार करना बैठक दिनांक 31.5.2018

उद्देश्य - उपरोक्त पाठ्यक्रम मण्डल के किसी भी विधायक द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा था, अतः आयुक्त उच्च-शिक्षा मण्डल शासन द्वारा उपरोक्त विषय पर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना एवं उसे एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में लागू करना।

कार्यवाही - उपरोक्त बैठक में विषय विशेषज्ञों के विषयों का आबंटन किया गया एवं उस विषय का पाठ्यक्रम एवं कितना लिखने का कार्य भी विषय विशेषज्ञ के साथ उनकी टीम तैयार की गई और 48 दिनों की कार्यशाला दो चरणों में आयोजित कर पुस्तक लेखन का कार्य किया।
→ हमें स्नातक तृतीय वर्ष के लिए विषय विशेषज्ञ वाकित्य नियुक्त किया गया और "विज्ञान एवं डिजिटल लेखक" विषय पर पाठ्यक्रम तैयार करने और पुस्तक लेखन का कार्य सौंपा गया। हमारे साथ हमारे दो प्राध्यापक साथी डॉ. जे. के. परमार, प्राध्यापक वाकित्य, हमीदिया मध्य, डॉ. डा. दीप्ति वर्मा, मध्य प्राध्यापक शास. मध्य, डॉ. वेदुल्लिंगम द्वारा यह कार्य किया गया। पुस्तक लेखन, यडपिंग, इत्यादि का कार्य हमारे द्वारा प्रथम चरण में प्रशासन अकादमी एवं द्वितीय चरण में व. व. वि. वि. के समाजशास्त्र विभाग में किया गया। इस पाठ्यक्रम को तैयार करने

कुंजीम अध्ययन मण्डल वि०वि० अधिनियम 1973
के विन्दु 34(A) के अन्तर्गत - सामुदायिक नेहरू एवं
सतत विकास हेतु तीन वर्षीय पाठ्यक्रम 1.42 ✓

प्रतिवेदन तैयार करना बैंक दिनांक 31.5.2018

उद्देश्य - उपरोक्त पाठ्यक्रम मंजूर के किसी भी वि०वि० द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा था, अतः आशुक्त उच्च - शिक्षा मंजूर शासन द्वारा उपरोक्त विषय पर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना एवं उसे एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में लागू करना।

कार्यवाही - उपरोक्त बैंक में विषय विशेषज्ञों के विषयों का आबंटन किया गया एवं उस विषय का पाठ्यक्रम एवं किताब लिखने का कार्य भी विषय विशेषज्ञ के साथ उनकी टीम तैयार की गई और 48 दिनों की कार्यशाला दो चरणों में आयोजित कर पुस्तक लेखन का कार्य किया।
→ हमें स्नातक तृतीय वर्ष के लिए विषय विशेषज्ञ वाणिक्य नियुक्त किया गया और "विनीय एवं डिजिटल लेखांकन" विषय पर पाठ्यक्रम तैयार करने और पुस्तक लेखन का कार्य सौंपा गया। हमारे साथ हमारे दो प्राध्यापक साथी डॉ० जे० के० परमार, प्राध्यापक वाणिक्य, हमीदिया मध० और डॉ० दीपिका वर्मा, सहा० प्राध्यापक शास० मध० डॉ० वैकुण्ठराज द्वारा बहुरूप कार्य किया गया। पुस्तक लेखन, यडपिंग, और का कार्य हमारे द्वारा प्रथम चरण में प्रशासन इकाई में एवं द्वितीय चरण में वस्तु वि०वि० के समाजशास्त्र विभाग में किया गया। इस पाठ्यक्रम की तैयारी

का उद्देश्य शासन का यह था कि हर सामुदायिक
 एवं सामाजिक गैरत्व के क्षेत्र में भी उचित भूमिका
 का निर्वाह करें। सामाजिक संस्कार से श्वर उराना
 एवं समाज सेवा प्रमुख उद्देश्य के साथ
 स्वःशौचगार की तरफ बढ़ता एक कदम भी
 था।

संलग्न:-

आदेश श्री प्रति

Dr. Pushplata Choudhary
 Prof. Commerce
 P. H. N. D. College
 Bhopal (M.P.)
 प्राध्यापक (C)

वाणिज्य अध्ययन मंडल, खंविंविं भोपाल
की बैठक दिनांक 30.3.2020

1.4.2

प्रतिवेदन

उद्देश्य: - बैठक आमंत्रित करने का उद्देश्य एकीकृत पाठ्यक्रम जो सत्र 2017-18 से लागू है, उसे सत्र 2020-21 में भी लागू किये जाने हेतु समिति के सदस्यों की राय, अनुशंसा एवं आवश्यकानुसार संशोधन करना।

कार्यवाही: - उपरोक्त बैठक में समिति के सदस्यों ने डिप्लोमा में पंचांक पाठ्यक्रम में कोई भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देने की बात रखी, और पाठ्यक्रम को यथावत (गत वर्ष के अनुरूप) लागू किये जाने की अनुशंसा की गई।

→ BSSS में व्यावसायिक पाठ्यक्रम Tax procedure & Finance विषय के पाठ्यक्रम में पुनरावृत्ति वाले अंश की तृतीय यूनिट से हटा दिया गया। GST का कुछ भाग इसमें भी शामिल था। जबकि GST अप्रत्यक्ष कर में हटा पड़े रहे थे।

→ Ph.D. कोर्स के और एम.कॉम कोर्स के पाठ्यक्रमों में 15% परिवर्तन किया गया।

[Signature]

Dr. Pankaj Chouksey
Prof. Commerce
Govt. Hamidiya College
Bhopal (M.P.)

संलग्न: -

आदेश एवं
कार्यवाही